न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 63/2018 **दायरा दिनांक : 20.04.2018**

उनवान

1— कजोड़ वल्द भुवाना, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

1/1— रामभरोस वल्द कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/2— सीता बाई पुत्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/3— भरोसी बाई पुत्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/4— जसोदा बाई पुत्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

1/5— मोहन बाई पुत्री कजोड़, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— भैरूलाल वल्द भुवाना, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— प्रभूलाल वल्द रामलाल, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— धन्नीबाई पुत्री रामलाल, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— रतन वल्द पेमा, जाति गूर्जर, निवासी मानपुरा, गूजरान, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— धापू बाई पत्नी रघुनाथ, जाति लोढ़ा, निवासी महुवाखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— अमर लाल वल्द रामसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी महुवाखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— मोतीलाल वल्द गोपीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुवाखोह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.01.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 117/218 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सेल्फ स्पिकिंग नहीं है उसमें मौखिक शहादत का कोई विवेचन नहीं किया गया है । तनकीयात का निर्णय करते समय शहादत की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 6 का पृथक से कोई निर्णय नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 7 का निर्णय भी सही प्रकार नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय

ने तनकी नम्बर 1 लगायत 7 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध कर भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान पत्र जो अपीलांट के पक्ष में निष्पादित किया गया था को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं कराये जाने का आदेश देकर भूल की है, उक्त तहरीर कोलेटरल उद्देश्य हेतु पढ़ी जानी चाहिए थी उससे कब्जा अपीलांट का साबित होता है । रेस्पोडेंट वादिनी का गवाह मांगीलाल पी डब्ल्यू 2 अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि कजोड़ एवं उसके वारिसान का कब्बा 50 वर्षो से आराजी मुतनाजा पर है । अधीनस्थ न्यायालय ने इसके बयानों पर ध्यान न देकर भूल की है । इससे स्पष्ट है कि धापू बाई ने जमीन खरीदी उनका कब्जा आराजी पर 50वर्षों से नहीं था तो उनके खातेदारी अधिकार कानूनन स्वतः ही समाप्त हो गये थे अतः बेचान धापूबाई शून्य था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अतः अपील को अस्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा